शिक्षा का अधिकार

सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक / राशिके / प्रोत्साहन / 2022 / 1768 भोपाल,दिनांक 11/03/2022
11-03-2022

प्रति,

कलेक्टर
समस्त —जिले म.प्र.

विषयः—शासकीय शालाओं में अध्ययरनत् छात्र —छात्राओं (कक्षा 1 से 8 तक) को सत्र 2022—23 में स्व सहायता समूह के माध्यम से गणवेश प्रदाय के संबंध में।

संदर्भः— म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग पत्र का पत्रक्रमांक / एफ—44—21 / 2017 / 20—2 भोपाल दिनांक 11 / 9 / 2020 एवं पत्र क्रमांक / राशिके / प्रोत्साहन / 2020 / 28 भोपाल दिनांक 23 / 06 / 2020

उपरोक्त विषयातर्गत लेख है कि संदर्भित पत्रो का अवलोकन करना चाहें जिसके माध्यम से सत्र 2020—21 में शासकीय विधालयों में अध्ययरनत् छात्र —छात्राओं (कक्षा 1 से 8 तक) को गणवेश प्रदाय हेतु जिले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग , महिला बाल विकास विभाग एवं नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग के अंतर्गत संचालित स्व—सहायता समूह की क्षमता निर्धारण हेतु निर्देश जारी किये गये हैं।

2/ सत्र 2022—23 में स्व—सहायता समूह के माध्यम से गणवेश प्रदाय हेतु निम्नानुसार प्रारंभिक कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

2.1 सत्र 2022—23 के लिये स्व—सहायता समूह की क्षमता का निर्धारण कर लिया जाये जिन जिलों अथवा विकासखण्ड में स्व—सहायता समूह समर्थ नहीं है उन जिलों के लिये छात्र—छात्राओं /पालकों के खाते के माध्यम से गणवेश की राशि प्रदान की जाएगी।

2.2 समूह की क्षमता के निर्धारण में यह ध्यान रखा जाए कि उनके द्वारा सत्र 2020—21 में गणवेश प्रदाय की स्थिति कैसी थी, तथा गणवेश तैयार करने हेतु संसाधानों की उपलब्धता क्या थी?

2.3 स्व—सहायता समूह के माध्यम से स्टैण्डर्ड साईज की गणवेश का आंकलन करा लिया जाये अर्थात कक्षा 1 से 8 तक की बालक एवं बालिकाओं को किस साइज की गणवेश तैयार करना होगी उसका सैम्पल प्राप्त कर लिया जाये।

2.4 शालावार नामांकन का सत्यापन विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक के माध्यम से कराया जायेगा।

2.5 म.प्र. शासन के संदर्भित पत्रानुसार गणवेश का कलर एवं डिजाइन का निर्धारण किया जायेगा।

2.6 सत्र 2020–21 के अनुसार ही समस्त कार्यवाही SHG जीविका पोर्टल के माध्यम से ही की जायेगी गणवेश का कय आदेश स्व–सहायता समूह के नियंत्रण कर्ता विभाग के निर्णय अनुसार उनके जिला/विकासखण्ड के अधिकारियों द्वारा जारी किया जायेगा।

2.7 स्व–सहायता समूह को प्रारंभिक तैयारी हेतु 75 प्रतिशत की राशि अग्रिम उपलब्ध करायी जायेगी शेष 25 प्रतिशत की राशि गणवेश प्रदाय के उपरांत तय होगी। स्व–सहायता समूह के द्वारा तीन माह की समय–सीमा में गणवेश तैयार कर शाला प्रबंध समिति को प्रदाय की जायेगी।

कृपया उपरोक्तानुसार प्रारंभिक कार्यवाही शीघ्र प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। SHG जीविका पोर्टल के माध्यम से की जाने वाली कार्यवाही एवं अन्य निर्देश शीघ्र ही उपलब्ध कराया जायेंगें।

11/03/2022

(धनराजू एस)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
भोपाल दिनांक 11-03-2022

पृ0क्रमांक/राशिके/प्रोत्साहन/2022/1769
प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव माननीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्कूल शिक्षा विभाग म.प्र.शासन भोपाल
2 प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग म0प्र0 शासन भोपाल
3. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ।
4.प्रमुख सचिव म.प्र.शासन महिला एवं बाल विकास विभाग।
5. प्रमुख सचिव म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन भोपाल म.प्र की ओर सूचनार्थ।
7. मिशन संचालक, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग भोपाल म.प्र की ओर सूचनार्थ।
8. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास विभाग भोपाल म.प्र की ओर सूचनार्थ।
9. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त जिले म0प्र0 को सूचनार्थ।
10. जिला शिक्षा अधिकारी/सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग/जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र 11/03/2022